तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/2183/2005/जयपुर** **राजस्थान सरकार बनाम बरजी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :

श्रीमती नीतू शेखावत, उप राजकीय अधिवक्ता।
अधिवक्ता अप्रार्थी व अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांकः— 09.01.2026

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रथम), जयपुर ने अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 17.02.2005 द्वारा मंडल को प्रेषित किया है।

रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार, बस्सी ने जरिए क्रमांक भू.अ./98/1884 दिनांक 11.06.1998 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रथम) जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुताबिक एकीकरण खतौनी जमाबंदी संवत् 2015 ग्राम सांभरिया तहसील बस्सी स्थित आराजी खसरा संख्या 210 रकबा 5 बिस्वा, 211 रकबा 2 बिस्वा, 212 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा, उप नंबर 1 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 2 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 3 रकबा 14 बिस्वा, 4 रकबा 10 बिस्वा, 5 रकबा 12 बिस्वा, 6 रकबा 13 बिस्वा, 7 रकबा 3 बिस्वा, 8 रकबा 15 बिस्वा, 9 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 10 रकबा 2 बीघा, 11 रकबा 7 बिस्वा, 12 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 13 रकबा 14 बिस्वा, 14 रकबा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 214 रकबा 12 बीघा, 217 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, 220 रकबा 1 बिस्वा, 221 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा उप नंबर 1 रकबा 2 बीघा, 2 रकबा 8 बिस्वा, 3 रकबा 8 बिस्वा, 4 रकबा 7 बिस्वा, 5 रकबा 7 बिस्वा, 6 रकबा 14 बिस्वा कुल किता 27 रकबा 41 बीघा 10 बिस्वा माफी मंदिर ठाकुरजी श्री 108 श्री गोपीनाथजी विराजमान देह वहतमाम पुजारी रामसहाय पुत्र छाजूलाल व भौंरीलाल पुत्र गौरीलाल कौम ब्रा0 सा0 देह की

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स /एल.आर/2183/2005/जयपुर</u>** **राजस्थान सरकार बनाम बरजी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खातेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में रामसहाय पुत्र छाजूलाल, भौंरीलाल पुत्र गौरीलाल कौम ब्रा0 सा0देह राहिन लादू, भूरा, सोन्या, छोटू पि0 झूथा कौम धानका सा0देह मुर्तहीन का नाम दर्ज था। कालांतर में जमाबंदी संवत् 2021–24 बनाते समय माफी मंदिर ठाकुरजी श्री 108 श्री गोपीनाथजी का नाम विलोपित कर दिया गया और उक्त आराजी की खातेदारी बिना किसी वैध आदेश के पुजारीगण रामसहाय पुत्र छाजूलाल, भौरीलाल पुत्र गौरीलाल कौम ब्रा0 सा0देह राहिन, लादू, भूरा, सोन्या, छोटू पि0 झूथा कौम धानका सा0देह मुर्तहीन के नाम दर्ज कर दी गई। बाद में नामांतकरण संख्या 39 व 46 से मुर्तहीन का इन्द्राज हटाया गया और नामांतकरण संख्या 102 से रामसहाय पुत्र छाजूलाल के फौत होने पर विरासत के आधार पर सत्यनारायण, सम्पतनारायण, प्रेमनारायण, महेशनारायण, नरनारायण पि. रामसहाय के हक में खातेदारी, सत्यनारायण के फौत होने पर विरासत नामांतकरण संख्या 327 से विष्णुदत्त, दुर्गादत्त, गुरूदत्त पि. सत्यनारायण के हक में दर्ज कर दी गई। बाद में नामांतकरण संख्या 381, 382, 383, 384 से भूमि का बैचान किए जाने पर आराजी का स्थानांतरण हुआ तथा जमाबंदी संवत् 2050–53 में बरजीदेवी पत्नी परभातीलाल, नाथू पुत्र गणेश पौत्र परभातीलाल नाबालिग पौत्र परभातीलाल, भगवाना, लालाराम, संतोष, रामफूल, मदन, आलीशान, छोटा, बन्नू, रामजीलाल पि. अर्जुन जाति मीना सा. टीलावाला तहसील सांगानेर की खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार माफी मंदिर की भूमि का नियम विपरीत हस्तांतरण हुआ है, जिसे हटा कर वापिस खातेदारी माफी मंदिर ठाकुरजी श्री 108 श्री गोपीनाथजी विराजमान देह के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करें। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 17.02.2005 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हस्तगत रेफरेंस प्रकरण माननीय मण्डल को प्रेषित किया है । विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस रेफरेंस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई । विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि विवादित भूमि माफी मंदिर ठाकुरजी श्री 108 श्री गोपीनाथजी की खातेदारी में दर्ज थी, जिसकी पुष्टि जमाबंदी खतौनी संवत् 2015 से स्वतः ही हो जाती है। किन्तु बाद में पश्चात्वर्ती जमाबंदी संवत् 2021–24 बनाते समय बिना किसी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/2183/2005/जयपुर** **राजस्थान सरकार बनाम बरजी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आधार व आदेश के नियम विपरीत माफी मंदिर का नाम विलोपित करते हुए पुजारीगण के नाम दर्ज कर दी गई। मंदिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है और उसकी भूमि पर पुजारी या किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्त करने से कोई स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और यदि इस प्रकार के अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त हो भी गए है तो वह राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के विपरीत है तथा प्रारंभ से ही प्रभाव शून्य है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर भूमि को अप्रार्थीगण की निजी खातेदारी से हटा कर पुनः माफी मंदिर ठाकुरजी श्री 108 श्री गोपीनाथजी विराजमान देह के नाम दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करावें। हमनें विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध मुताबिक एकीकरण खतौनी जमाबंदी संवत् 2015 ग्राम सांभरिया तहसील बस्सी स्थित आराजी खसरा संख्या 210 रकबा 5 बिस्वा, 211 रकबा 2 बिस्वा, 212 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा, उप नंबर 1 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 2 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 3 रकबा 14 बिस्वा, 4 रकबा 10 बिस्वा, 5 रकबा 12 बिस्वा, 6 रकबा 13 बिस्वा, 7 रकबा 3 बिस्वा, 8 रकबा 15 बिस्वा, 9 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 10 रकबा 2 बीघा, 11 रकबा 7 बिस्वा, 12 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 13 रकबा 14 बिस्वा, 14 रकबा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 214 रकबा 12 बीघा, 217 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, 220 रकबा 1 बिस्वा, 221 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा उप नंबर 1 रकबा 2 बीघा, 2 रकबा 8 बिस्वा, 3 रकबा 8 बिस्वा, 4 रकबा 7 बिस्वा, 5 रकबा 7 बिस्वा, 6 रकबा 14 बिस्वा कुल किता 27 रकबा 41 बीघा 10 बिस्वा माफी मंदिर ठाकुरजी श्री 108 श्री गोपीनाथजी विराजमान देह वहतमाम पुजारी रामसहाय पुत्र छाजूलाल व भौंरीलाल पुत्र गौरीलाल कौम ब्रा0 सा0 देह की खातेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में रामसहाय पुत्र छाजूलाल, भौंरीलाल पुत्र गौरीलाल कौम ब्रा0 सा0देह राहिन लादू, भूरा, सोन्या, छोटू पि0 झूथा कौम धानका सा0देह मुर्तहीन का नाम दर्ज था। कालांतर में जमाबंदी संवत् 2021–24 बनाते समय माफी मंदिर ठाकुरजी श्री 108 श्री गोपीनाथजी का नाम विलोपित कर दिया गया और उक्त	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स /एल.आर/2183/2005/जयपुर</u>** **राजस्थान सरकार बनाम बरजी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आराजी की खातेदारी बिना किसी वैध आदेश के पुजारीगण रामसहाय पुत्र छाजूलाल, भौरीलाल पुत्र गौरीलाल कौम ब्रा0 सा0देह राहिन, लादू, भूरा, सोन्या, छोटू पि0 झूथा कौम धानका सा0देह मुर्तहीन के नाम दर्ज कर दी गई। बाद में नामांतकरण संख्या 39 व 46 से मुर्तहीन का इन्द्राज हटाया गया और नामांतकरण संख्या 102 से रामसहाय पुत्र छाजूलाल के फौत होने पर विरासत के आधार पर सत्यनारायण, सम्पतनारायण, प्रेमनारायण, महेशनारायण, नरनारायण पि. रामसहाय के हक में खातेदारी, सत्यनारायण के फौत होने पर विरासत नामांतकरण संख्या 327 से विष्णुदत्त, दुर्गादत्त, गुरूदत्त पि. सत्यनारायण के हक में दर्ज कर दी गई। बाद में नामांतकरण संख्या 381, 382, 383, 384 से भूमि का बैचान किए जाने पर आराजी का स्थानांतरण हुआ तथा जमाबंदी संवत् 2050–53 में बरजीदेवी पत्नी परभातीलाल, नाथू पुत्र गणेश पौत्र परभातीलाल नाबालिग पौत्र परभातीलाल, भगवाना, लालाराम, संतोष, रामफूल, मदन, आलीशान, छोटा, बन्नू, रामजीलाल पि. अर्जुन जाति मीना सा. टीलावाला तहसील सांगानेर की खातेदारी में दर्ज है। चूंकि विवादित आराजी खतौनी जमाबंदी संवत् 2015 ग्राम सांभरिया तहसील बस्सी स्थित आराजी कुल किता 27 रकबा 41 बीघा 10 बिस्वा माफी मंदिर ठाकुरजी श्री 108 श्री गोपीनाथजी विराजमान देह वहतमाम पुजारी रामसहाय पुत्र छाजूलाल व भौंरीलाल पुत्र गौरीलाल कौम ब्रा0 सा0 देह की खातेदारी में दर्ज थी तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार उक्त आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज कर दी गई है जो कि अवैध चूंकि मंदिर शाश्वत नाबालिग है तथा नाबालिग की भूमि अन्य को किसी भी रूप में स्थानातांरित नहीं की जा सकती है। अभिलेख से विवादग्रस्त आराजी माफी मंदिर ठाकुरजी श्री 108 श्री गोपीनाथजी विराजमान देह की खातेदारी की होना स्पष्ट होता है, ऐसी आराजी को निजी व्यक्तियों की खातेदारी में अभिलिखित नहीं किया जा सकता है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग (Perpetual Minor) होती है तथा शाश्वत नाबालिग के हितों की रक्षा करना न्यायालय का दायित्व है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 45 (4) व 46 ए के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है । नाबालिग स्वंय काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गये है तो वह प्रभाव शून्य माने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स /एल.आर/2183/2005/जयपुर</u>** **राजस्थान सरकार बनाम बरजी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जावेगें । अतः हस्तगत रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि बाबत् अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी निरस्त किये जाने योग्य तथा विवादित भूमि पुनः माफी मंदिर ठाकुरजी श्री 108 श्री गोपीनाथजी विराजमान देह की खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित एवं विधिसम्मत् प्रतीत होता है । फलस्वरूप यह रेफरेंस स्वीकार किया जाकर ग्राम सांभरिया तहसील बस्सी में स्थित आराजी खसरा संख्या 210 रकबा 5 बिस्वा, 211 रकबा 2 बिस्वा, 212 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा, उप नंबर 1 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 2 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 3 रकबा 14 बिस्वा, 4 रकबा 10 बिस्वा, 5 रकबा 12 बिस्वा, 6 रकबा 13 बिस्वा, 7 रकबा 3 बिस्वा, 8 रकबा 15 बिस्वा, 9 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 10 रकबा 2 बीघा, 11 रकबा 7 बिस्वा, 12 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 13 रकबा 14 बिस्वा, 14 रकबा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 214 रकबा 12 बीघा, 217 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, 220 रकबा 1 बिस्वा, 221 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा उप नंबर 1 रकबा 2 बीघा, 2 रकबा 8 बिस्वा, 3 रकबा 8 बिस्वा, 4 रकबा 7 बिस्वा, 5 रकबा 7 बिस्वा, 6 रकबा 14 बिस्वा कुल किता 27 रकबा 41 बीघा 10 बिस्वा पर अप्रार्थीगण को दी गई खातेदारी/अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी तथा उसके पश्चात् दर्ज समस्त इंद्राजों एवं नामांतकरणों को निरस्त किया जाता है तथा उक्त भूमि को पुनः माफी मंदिर श्री 108 श्री गोपीनाथजी विराजमान देह की खातेदारी में दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नंबर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	